

प्रथम अपील
(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 19 के अन्तर्गत)

अपील अधिकारी,
एवं निदेशक (कम्पनी मामलात्/परियोजना/परिचालन एवं प्रणाली/वित्त),
जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि०,
खनिज भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर-302005

1. अपीलार्थी का नाम और पता :-
2. लोक सूचना अधिकारी (जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है) का नाम और पता :-
3. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है उसकी क्रम संख्या व दिनांक :-
4. संक्षिप्त तथ्य :-
5. अपील का आधार :-
6. अपील का अनुतोष :-
7. अन्य विवरण :-
8. अपीलार्थी का सत्यापन :- मैं यह सत्यापित करता हूं कि अपील के अनुच्छेद एक से छः में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य एवं सही हैं, और मैंने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं छिपाया है तथा इसी विषय पर मैंने पूर्व में अपील नहीं की है।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक:-

समय:-

संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट :-

1. सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन, जो लोक सूचना अधिकारी को दिया है, की प्रति।
2. उस आदेश की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।
3. अपीलार्थी द्वारा अविलम्ब लिये गये और अपील में निर्देशित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां।
4. अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।

अपील दो प्रतियों में दी जावे